Human Rights in India : An Analysis

Dr. Jitendra Prakash Tyagi
Assistant Professor
P.N.G.Govt. P.G. College
Ramnagar (Nainital)

ABSTRACT

मानव अधिकार सामाजिक दृष्टिकोण से एक अत्यधिक गंभीर विषय है ।अंतरराष्ट्रीय मंच पर वर्ष 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत एवं उद्घोषित किया गया। मानव अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा,एवं प्राण रक्षा से संबंधित ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हो। आयोग के सीमा क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। वर्ष 2019 को राज्यसभा में पारित मानव अधिकार संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार को अधिक शक्ति प्रदान करना है। भारत के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग का कार्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है।

Keywords : मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संशोधन ।

अधिकार वे मौलिक अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं। मानव के संपूर्ण विकास के लिए मानव अधिकार अति आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत एवं उद्घोषित किया ।इसके पश्चात मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक प्रसंविदा 1966 और अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार पर प्रसंविदा के प्रोटोकॉल को अंगीकृत किया। मानव अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा,एवं प्राण रक्षा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सनिविशट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार प्रथम अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक उद्देश्यों में एक यह है कि जाति, भाषा, लिंग अथवा धर्म का कोई भेदभाव किए बिना सब के लिए मानव अधिकारों और मूल्य स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्टर की धारा 1 एवं 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं और विचारों में समान होते हैं । इस घोषणा की धारा 28 से 30 में है स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करें। इसके साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में लाया गया है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं जिनका पालन किए बिना हम अपने अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर सकते।

मानव अधिकार सामाजिक दृष्टिकोण से एक अत्यधिक गंभीर विषय है । आज पूरे विश्व में होने वाली हिंसक घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अधिकार ही नहीं बल्कि मानवता खतरे में है वास्तव में मानव अधिकार के बल पर ही संपन्न शक्तिशाली लोगों के बीच आम जनता सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मानव अधिकारों के प्रति चेतना आम जनता के बीच नगण्य दिखाई देती है। प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, विशेषकर महिलाओं के संबंध में, उत्पीड़न एवं प्रताड़ना की घटनाएं कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व समुदाय में मानव अधिकारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं । मानव अधिकार से संबंधित क्रियान्वयन एकता के रूप में देखा जाना चाहिए।

मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को भारत में पूर्ण अधिकार प्राप्त है।समिति की सिफारिश के आधार पर ही नियुक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मानव अधिकार के हनन की स्थिति में आयोग जांच के बाद निम्न कदम उठा सकता है:-

- आयोग सरकारी प्राधिकरण को संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय अथवा राज्य के उच्च न्यायालय से आयोग संपर्क कर सकता है।
- तत्काल अंतिम राहत के लिए आयोग सिफारिश कर सकता है।

आयोग के सीमा क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन पोषण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए समानता, अशक्तो के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार पर आयोग का विशेष ध्यान रहता है।

अति महत्वपूर्ण मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में गत वर्ष 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार को अधिक शक्ति प्रदान करना है। इस विधेयक द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को संशोधित किया गया। संशोधन उपरांत दो के स्थान पर तीन व्यक्तियों को नियुक्ति देने जिनमें एक महिला के होने को आवश्यक किया गया है। संशोधन उपरांत पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय विकलांग जन आयोग के चीफ कमिश्नर के लिए भी सदस्य चुने जाने का प्रावधान लाया गया है

यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पुलिस हिरासत में दी जाने वाली यात्रा के अनेकों उदाहरण है । भारत के संदर्भ में तो यह कहना उचित नहीं होगा कि आज भी एक खास वर्ग के लोगों को हैसियत के अनुसार मानव अधिकार हांसिल हैं। भारत के कुछ हिस्सों में जहां साक्षरता का स्तर कम है वहां मानव अधिकारों का हनन सामान्य बात है। इन राज्यों के गरीब एवं निशक्त वर्ग एवं अशिक्षित पिछड़े वर्ग के लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से कार्यवाही किए जाने की घटना समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हालांकि वर्ष 2006 में मानवीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में अपने एक फैसले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को पुलिस विभाग में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

भारत के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग का कार्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत में केंद्र या राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है । मानव अधिकार संरक्षण कानून के तहत ऐसी शिकायतें भी आयोग के दायरे से बाहर होती हैं जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती है । संसाधनों की कमी के कारण आयोग के सदस्यों के पदों का खाली पड़े रहना भी गंभीर समस्या है आयोग की नौकरशाही कार्यशैली भी एक समस्या है।

मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अनुसार सभी राज्यों के जिलों में फास्ट ट्रैक मानव अधिकार अदालत का गठन उन राज्यों के हाई कोर्टो की देखरेख और दिशा निर्देश के आधार पर किया जाना था लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह काम अधूरा पड़ा है। इन खास अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्तियां भी लंबित है।

भारत में मानवाधिकारों के हनन के बढ़ते मामलों और हाल में आई विभिन्न रिपोर्टों के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रजंन गोगोल की अगुवाई वाली बेचं कानून की एक छात्र भाविका फोरे की याचिका पर यह सुनवाई कर रही है। याचिका के मुताबिक देश के 29 राज्यों और सात संघ शासित प्रदेशों के सभी जिलों में मानवाधिकार हनन के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन किया जाना था जो अभी तक नहीं हुआ है।

एक याचिका के अनुसार एक व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों के संरक्षण और हिफाजत का अपरिहार्य दायित्व राज्य का है और उन दायित्वों के लिए राज्यों को अदालतों के जरिए कम खर्च बाला, प्रभावशाली और जल्दी न्याय दिलाने वाला मुकदमा लड़ने में हर तरह की सहायता मुहैया कराने वाला होना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मानवाधिकार से जुड़े ब्यूरो की ओर से जारी इंडिया ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2018 का हवाला भी याचिका में दिया गया है। रिपोर्ट में मानवाधिकारों की स्थिति को चिंताजनक बताया गया था इसमें पुलिस की क्रूरता, उत्पीड़न, हिरासत में

मौत, फर्जी मुठभेड़, जेलों की दुर्दशा, मनमानी गिरफ्तारियां, अवैध हिरासत, झूठे आरोप, मुकदमा लड़ने से रुकावटें आदि जैसे आरोप भी लगाए गए हैं किंतु भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।

परंतु बात सिर्फ अमेरिका की रिपोर्ट की नहीं है दुनिया भर के अन्य स्वतंत्र मानव अधिकार संगठनों और एजेंसियों ने भी भारत के मानव अधिकारों के रिकॉर्ड को सही नहीं बताया है। चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन राइट्स वॉच हो या दलितों अल्पसंख्यकों महिलाओंऔरआदिवासियों पर हिंसा के मामले हो या अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश, लेकिन भारत की संस्थाओं ने ऐसे मामलों को अनदेखा तो नहीं होने दिया है।

देश में कुछ समूह इन संगठनों पर देश की छवि खराब करने का आरोप भी लगाते हैं और कई बार तो मानव अधिकार कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह जैसी अवांछित टिप्पणियां भी देखने सुनने को मिल जाती है लेकिन बहुत से आरोपो के बावजूद क्या इस बात से मना किया जा सकता है कि मानव अधिकार को लेकर एक निर्मम उदासीनता तो यहां फैली हुई है । देश के भीतर मानव अधिकार कार्यकर्ता और संगठन समय-समय पर अपनी आवाज उठाते ही रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मानवाधिकार अदालतों का गठन ना किए जाने को लेकर जवाब तलब किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत ही की गई थी. 1993 में गठित इस आयोग ने अब तक कई मामलों में अपना स्टैंड साहस और विवेक के साथ रखा लेकिन पीड़ितों को इंसाफ दिला पाने में आयोग की कोशिशें नाकाफी ही कही जाएंगी।

आयोग की अपनी वैधानिक शक्ति के बावजूद देखा गया है मानवाधिकार हनन का मामला चाहे समाज के उग्र समूहों, लंपटों और दबंगों की ओर से हो या सरकारी मशीनरी की ओर से- आयोग का कोई भय ऐसी शक्तियों को रह नहीं गया है। आयोग की फटकार और कार्यवाहियो के ऊपर राजनीतिक दबदबा अपना प्रभाव दिखाने लगता है. जबकि अध्यादेश के जरिए जो शक्तियां केंद्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य के आयोगों को हासिल हुई हैं वे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की पूरी हिफाजत करने के लिए है।

एक याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक पुराने आंकड़े के हवाले से हालात की गंभीरता की ओर अदालत का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है. उसके मुताबिक आयोग ने 2001 से 2010 के बीच पाया था कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में 14231 लोगों की मौत हुई थी. 1504 मौतें पुलिस हिरासत में और 12,727 मौतें न्यायिक हिरासत में हुईं. और ये भी पाया गया कि ज्यादातर मौतें टॉर्चर की वजह से हुई थी. हिरासत में मारपीट और बलात्कार के आंकड़ें अलग हैं।

वर्ष 2006 से 2010 तक बलात्कार के 39 मामले कस्टडी के दौरान सामने आए थे। लेकिन हिंसा और जघन्यता का ये आंकड़ा आगे भी अपनी भयानकता में बना रहा है और पुलिस या जांच एजेंसियों तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन पत्रिका 'द क्विंट' के मुताबिक सितंबर 2015 से अब तक देश के 95 नागरिक मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं।

अब सवाल है कि क्या मानवाधिकारों वाली अदालतें बन जाएंगी तो इंसाफ मिल पाएगा। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसी अदालतों की जरूरत ही न हो। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ही जवाब तलब किया है।

अतं में, यह कहना उचित होगा कि न्यायिक व्यवस्था की कमजोरियां, जजों की कमी, लंबित मामलों का पहाड़, अदालती पेचीदगियां, आर्थिक संसाधनों की कमी जैसे कई अवरोध सामने हैं लेकिन संवैधानिक गरिमा तो यही कहती है कि अवरोधों को दूर कर इंसाफ दिलाने की मुहिम थमनी नहीं चाहिए। मानवाधिकारों के हनन पर मुस्तैदी से काबू पाना ज्यादा जरूरी है. फिर चाहे वो हिरासत में हिंसा हो या समाज में दबंगों की हिंसा। राजनीतिक मंशा सही रहे तो मानवाधिकारों का हनन इतना आसान नहीं।

संदर्भ : -

1. इंडिया ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2018
2. 'द क्विंट' , ऑनलाइन पत्रिका
3. जैक डॉनेली : इनटरनेशनल ह्यूमन राइट्स (4th edition)
4. डॉ एसके कपूर : मानव अधिकार (सेंट्रल लॉ एजेंसी)
5. चिरंजीवी जे. निर्मल : ह्यूमन राइट्स इन इंडिया (ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर वैक्स)
6. विकिपीडिया